

पारा ॥

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

(प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151757/2022)

जी नहीं।

<p>1</p> <p>स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हों/नहीं) यदि हों तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में सलान करें।</p>	<p>2</p> <p>वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं यदि नहीं तो उसका कारण दे।</p>	<p>3</p> <p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</p>																				
		<p>महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के अंतर्गत वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र जियावन में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु वनमण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>जिला</th> <th>वनमण्डल</th> <th>परिक्षेत्र</th> <th>कक्षा क्रमांक</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>सिंगरौली</td> <td>सिंगरौली</td> <td>जियावन</td> <td>R.F. 813 R.F. 814 P.F. 817 P.F. 828 P.F. 826 P.F. 827 P.F. 778 P.F. 779 P.F. 781 P.F. 782 P.F. 780</td> <td>0.3526 0.0744 0.0230 0.9572 0.2017 0.9124 0.9801 0.4957 0.4956 0.0954 0.0152</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.F. 829</td> <td>0.1045</td> </tr> </tbody> </table>	जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कक्षा क्रमांक	रकवा	1	2	3	4	5	सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन	R.F. 813 R.F. 814 P.F. 817 P.F. 828 P.F. 826 P.F. 827 P.F. 778 P.F. 779 P.F. 781 P.F. 782 P.F. 780	0.3526 0.0744 0.0230 0.9572 0.2017 0.9124 0.9801 0.4957 0.4956 0.0954 0.0152				P.F. 829	0.1045
जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कक्षा क्रमांक	रकवा																		
1	2	3	4	5																		
सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन	R.F. 813 R.F. 814 P.F. 817 P.F. 828 P.F. 826 P.F. 827 P.F. 778 P.F. 779 P.F. 781 P.F. 782 P.F. 780	0.3526 0.0744 0.0230 0.9572 0.2017 0.9124 0.9801 0.4957 0.4956 0.0954 0.0152																		
			P.F. 829	0.1045																		

योग:-	P.F. 824	0.0847
	P.F. 786	0.0132

उपराक्त प्रस्तावित गोप्त देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में वन्यप्राणी अस्थारण्य वन अथवा चार्ट्रीय उद्धान अन्य का क्षेत्र नहीं है परन्तु वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्रमांक आरएफ. 813, 814, एवं पी.एफ. 828, 826, 827, 817, 778, 779, 781, 782, 780, 829, 824, 786 वनमण्डल की कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में समिलित है। वनमण्डल की कार्यआयोजना में हाथी कारीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।

(अ) 2.47 (9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य किससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे, स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैप की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किए जावें।

(ब.) 2.47 (10) कारीडोर में स्थित कक्षों को यथासम्भव गैरवानिकी उपयोग हेतु हस्तातरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यमानी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जायें।

कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 4.8057 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है।

वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी गोप्त देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.8057 हे. वनभूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

(राजेश कुमार राय)
वन संरक्षक
रीवा वृक्त रीवा (म.प्र.)